न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम किशनाराम पुत्र बिहारीलाल माली जिलिया, भंवरलाल पुत्र नाथूराम जांगिड़ राणासर वगैरह

प्रा.पत्र नम्बर 52/2020 **RCMS No.2020/00116**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
24.08.2022	प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप मे इस प्रकार से है कि तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा राजस्व वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत अप्रार्थी किशनाराम भंवरलाल जिलिया के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत किया, ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 1135/664 रकबा 0.3360 हैक्टर बारानी द्वितीय को अप्रार्थीगण ने बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के वाणिज्यिक उपयोग के रूप में कृषि भूमि को अकृषि उपयोग कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है, इसलिए अप्रार्थी के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उसे पाबंद फरमाया जावे। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनॉक 17.08.2020 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, अप्रार्थी भंवरलाल, जगदीश, किशनाराम की ओर से श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित आये एवं अप्रार्थी भंवरलाल की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ, अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि अप्रार्थी के पक्ष में तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा दिनाँक 31.03.2020 को खसरा नम्बर 664 रकबा 1.43 हैक्टर में से 334 वर्ग मीटर अर्थात 0.04 हैक्टर भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्त की गई है जिसके आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें निर्माण किया गया है, वर्तमान में उपरोक्त खसरा नम्बर 1335/664 रकबा 0.3360 हैक्टर में 5/42 वॉ हिस्सा अर्थात 0.04 हैक्टर राजस्व रेकार्ड दर्ज चली आ रही है तथा साथ ही निवेदन किया है कि राजस्व वाद. सं. 94/2020 भंवरलाल बनाम सुरेन्द्रसिंह वगैरह में दिनॉक 03.12.2021 को प्रकरण का निर्णय होकर डिक्री माननीय न्यायालय द्वारा जारी की गई है जिसकी पालना अभी तक शेष है, चूँकि माननीय न्यायालय का स्थगन होने से डिक्री की पालना भी शेष है जिसका निस्तारण " प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 " के दौरान पक्षकारान में मध्य राजीनामा होकर हुआ है, साथ ही शपथ–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि स्थगन आदेश हटने व बंटवारा होने पर उक्त भूमि को वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करा लेगा। इसलिए प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया है तथा अप्रार्थी ने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि खसर नम्बर 664 में से 0.04 हैक्टर भूमि तहसीलदार कुचामनसिटी के यहॉ से आदेश सं. 20 दिनॉक 31.03.2003 के द्वारा संपरिवर्तन की गई है तथा अप्रार्थी भंवरलाल द्वारा संपरिवर्तन भूमि में ही आवासीय निर्माण किया गया है, साथ ही शपथ–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि स्थगन आदेश हटने	

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)